dfosoillansdowne@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– 175 / 12-1 दिनांक,लैन्सडौन, 28/07/ 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अंतर्गत पोखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/41658/2019)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ0सी0/280 दिंनाक 25.05.2022, आपका पंत्राक 1316/12–1(1) दिनांक 03.12.20232 एंव अधिशासी अभियन्ता एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड पी0आई0यू0–दुगड्डा का पत्रांक 447/पी0एम0जी0एस0वाई0/2023/324 दिंनाक 04.06.2023

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अंतर्गत पोखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 है0 पर भारत सरकार के द्वारा 5 बिन्दुओं पर आपत्तियों के निस्तारण निम्न प्रकार है।

क्र0स0	आपत्ति	निस्तारण
01	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 (ख) के सापेक्ष में अधिसूचना से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न के रूप में इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशनिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करवाकर प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) आरक्षित /संरक्षित वन घोषित सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (सलग्न–1)
02	सी.ए. क्षेत्र के mutation से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न के रूप में इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सी.ए. क्षेत्र का mutation प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा सी.ए. क्षेत्र के mutation से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित है। (सलग्न–2)
03	राज्य सरकार से अनुरोध है कि खतौनी की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा खतौनी की प्रति मूल में संलग्न कर प्रेषित है। (सलग्न–3)
04	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 3 (ग) के सापेक्ष में यह अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का पालन किया जायेगा जोकि मान्य नही है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	इस वन प्रभाग द्वारा सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है जिसका प्रमाण पत्र सलग्न कर प्रेषित है। (छायाप्रति सलग्न–4)

o/c

Scanned by CamScanner

05	राज्य सरकार धनराशि रू0 1097871/– हेतु संशोधित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 1097871/ का प्राक्कलन सलंग्न है। **(छायाप्रति सलग्न–5)**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नवीन चन्द्र पंत)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

पत्रांक 175 / 12–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॅारेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता ,एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड पी0आई0यू0–दुगड्डा।

(नवीन चन्द्र पंत)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

o/c

Scanned by CamScanner

संलग्नक -1

आदेश

उपजिलाधिकारी लैन्सडोन ने अपने पत्र संख्या-56/आर0सी0/2020 दिनांक लैन्सडोन 29 अक्टूबर 2020 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत चौखाल-पाण्डस्यू से खगाणा मोटर मार्ग के एलाइनमेन्ट के सम्बन्ध में जांचोपरान्त पाया गया कि ग्राम खगाणा,पट्टी गल्ला डांगू-1 तहसील जाखणीखाल के खसरा संख्या- 3411 रकबा 3.259 है0,जो कि नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख) खाता संख्या-5 झाड़ी,उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है इस सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण हेतु उक्त भूमि पर कोई वृक्ष नहीं है तथा न ही पथरीली भूमि है,वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को पूर्व में निरीक्षण कर भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया है।

जनपद गढ़वाल के ग्राम खगाणा,पट्टी गल्ला डांगू-1 तहसील जाखणीखाल के खसरा सख्या- 3411 रकबा 3.259 है0,जो कि नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख) खाता संख्या-5 झाड़ी,उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है इस सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!

संख्या- f-453 /8-एल0ए0सी0-(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20, 2020

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव,राजस्व अनुभाग-1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3- प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4- उप प्रबन्धक,एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड,पी0आई0यू0 दुगड्डा,जनपद गढ़वाल।
5- उपजिलाधिकारी,लैन्सडोन।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रमाणित

04/06/2023

PIU
NPCC
PMGSY, DUGADDA
PAURI GARHWAL (U.K)

Scanned by CamScanner

...वरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
...त्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/20/2020/एफ0सी0/305

दिनांक: 12/06/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 216/x-3-20/1(28)/2020 दिनांक 14.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/41658/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्तगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 09.06.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पौखाल मांडलु मार्ग से खमाणा, (स्टेज–1) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.256 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम खमाणा सिविल खसरा नं0 3411 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधियत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं संरक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.628 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by CamScanner

मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 trees होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7- State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9 एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10 प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।

13 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

24. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

26. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by CamScanner

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2000 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/41658/2019 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पौखाल माण्डलू से खमाणा मोटर मार्ग के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 3.256 है0 भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पौडी गढवाल के पत्रांक आर–453/8–एल0ए0सी0 (2020–2021) दिनांक 20.11.2020 से हस्तान्तरित /आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त तभूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेत इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

Scanned by CamScanner

Certificate

Certificate that the proposal number FP/UK/ROAD/41658/2019 under the provisions contained in the Forest Conservation Act 1980 and Forest Conservation Rules 2000 has been received by the Forest Department for Compensatory plantation from Pokhal Mandulu to Khamana motor road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna 3.256 hectare land (civil/soyam/barren/degraded forest/ other forest) etc. owend by the revenue department, under the ownership of the forest department, office of the district magistrate parui garhwal letter no. R453/8 –एल०ए०सी० - (2020-21) has been transferee/allotted with effect from 20.11.2020 and mutation in favor of Forest Department. The ownership of the said land has been registered in the name of the Forest Department in Khasra Khatauni. Its possession has been acquired by the Forest Department for compensatory plantation. The said land is declared as a reserved forest area under section-4/20/29 of the Indian Forest Act, 1927

Division Forest Officer
Soil conservation forest
Division, Lansdowne

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड़ शासन

वन अनुभाग– 2

संख्या– / ....

देहरादूनः दिनांकः–

अधिसूचना

महामहिम राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या– 16 वर्ष 1927) की धारा–29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अनूसूची में दिये गये सिंचाई खण्ड द्वारा लैन्सडौन के अन्तर्गत पौखाल माण्डूल से खमाणा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 3.256 है० सिविल वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र जो राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–5(3) को संरक्षित वन घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क0सं0	जनपद	ग्राम	खाता संख्या/खसरा नम्बर	चयनित क्षेत्रफल (है0)
01	पौडी गढ़वाल	खमाणा	3411	3.256

उपरोक्तानुसार भूमि चिन्हित एवं सीमांकित कर प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन अपने कब्जे में प्राप्त कर अभिलेखों में दर्ज करें।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः– /X-2-2020-15(29)2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल, मण्डल, उत्तराखण्ड़।
4. जिलाधिकारी, जनपद पौडी गढवाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन ।
6. उपजिलाधिकारी, लैन्सडौन।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड़ (ब) भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
8. एन0 आई0सी0 सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाइल।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner

Government of Uttarakhand
Forest Section-2
No. /-------------
Dehradun, Dated----------------------------------

Notification

His Excellency the Governor, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 29 of the India Forest Act 1927 as amended (Central Act No. 16 of 1927) is transferred for the exercise of Chapter 4 of the said Act. The area selected for compensatory plantaion again the civil forest land Pokhal Mandulu to Khamana motor area is 3.256 hectare, Which is owned by the state Government, is of Category 5(3)(e)- it is pleased to approve to declare it as a protected forest.

S.No	District	Village	Khata no./Khasara	Selected area (Ha.)
1	Pauri Garhwal	Khamana	3411	3.256

After getting the above land marked and delimited, The Divisional Forest Officer Soil Conservation Forest Division Lansdowne will take it in his possession, and will enter it in the records.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary

No / x-2-2020-15(29)/2002 Dated,

Copy forwarded to following for information and necessary action-

1- Principal Chief Conservation of Forests (HoFF) Uttarakhand, Dehradun.
2- Principal Chief Conservation of Forests (Wildlife) Uttarakhand, Dehradun.
3- Chief Wildlife Warden, Uttarakhand, Dehradun.
4- Commissioner Garhwal Pauri.
5- District Magistrate, Pauri Garhwal
6- Divisional Forest Officer Soil Conservation Forest Division Lansdowne.
7- Sub Divisioan Magistrate, Lansdowne.
8- Director Govt. Press Roorkee for Printing in Official Gadget.
9- N.I.C Secretariat, Uttarakhand, Dehradun.
10- Guard File.

(Anand Bardhan)
Principal Secretary

Scanned by CamScanner

डिजिटल मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम खमाणा , पट्टी मल्ला ढ़ांगु सिविल सोयम (क्षे0–3.256है0)

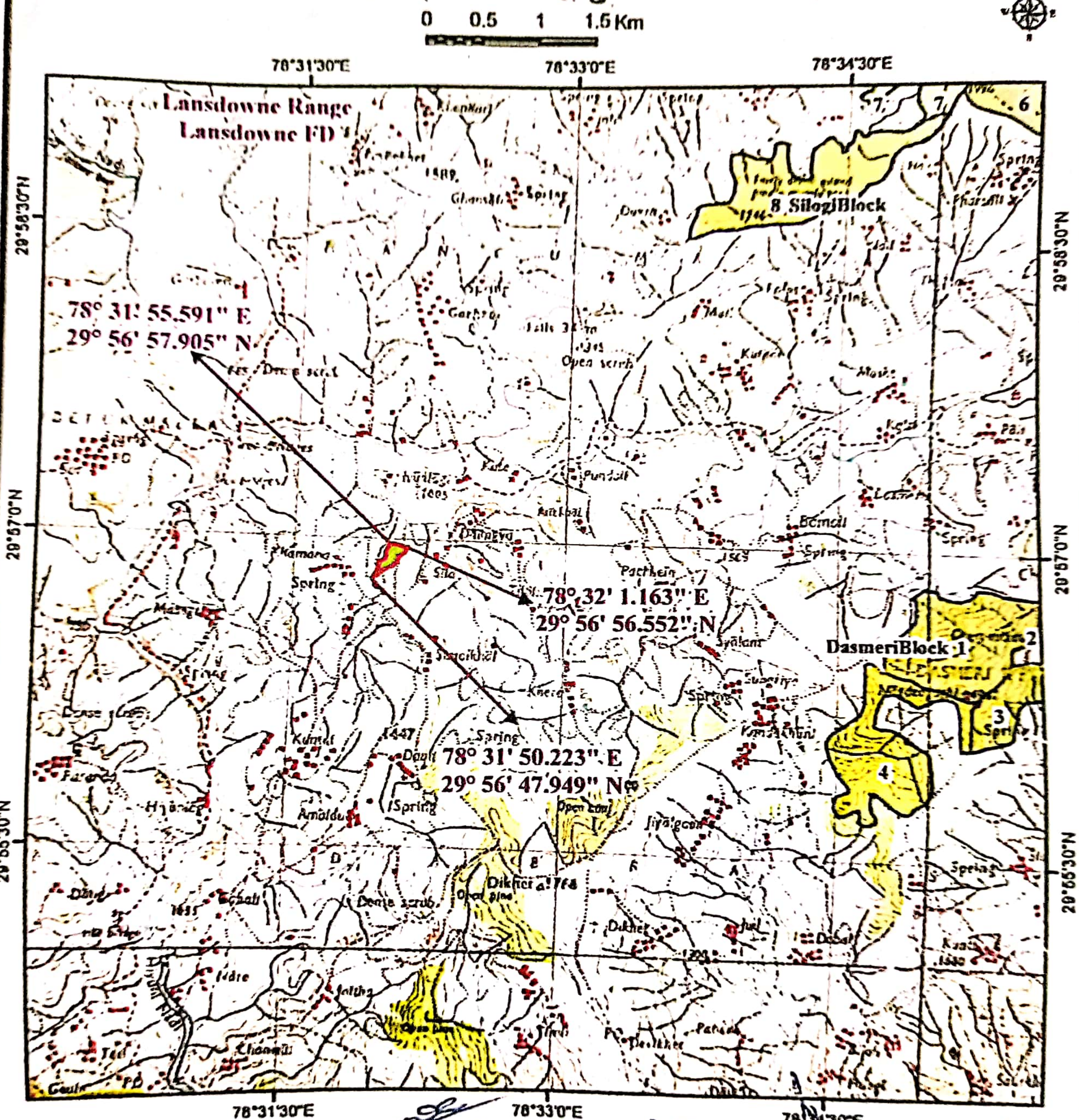

Legend

- Proposed CA Land
- Researve Forest Area
- Researve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

अधिशासी अभियन्ता IV
सिंचाई खण्ड,कोटद्वार

उप प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

J.E

NAME OF WORK :- ALIGNMENT OF DABOLI TO KHAMANA MOTOR ROAD
LENGTH OF ROAD :- 4.875 km.

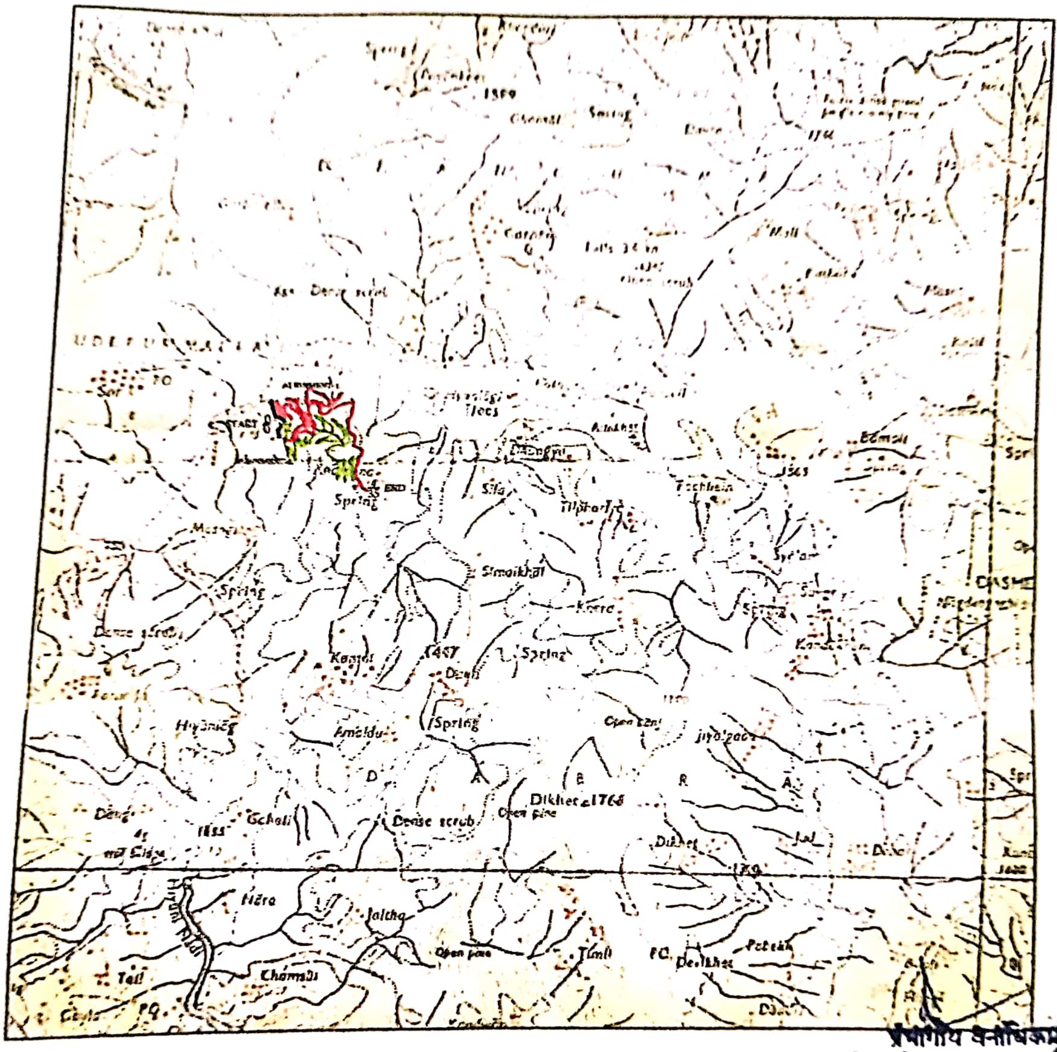

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

ALIGEMENT-1 IS RECOMENDED FOR SANCTION SHOWN IN RED.

Topo sheet No.- 53 k-9

SCALE:-1:50,000

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

तहसीलदार
लैन्सडौन

S.NO.	ALIGEMENT	COLOUR
1.	ALIGNMENT-1.	
2.	ALIGNMENT-2.	
3.	EXISTING ROAD	

J.E.

जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

A.E.
सहायक अभियन्ता तृतीय
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
कोटद्वार (गढ़वाल)

E.E.
Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

SDM

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

डिजिटल मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु

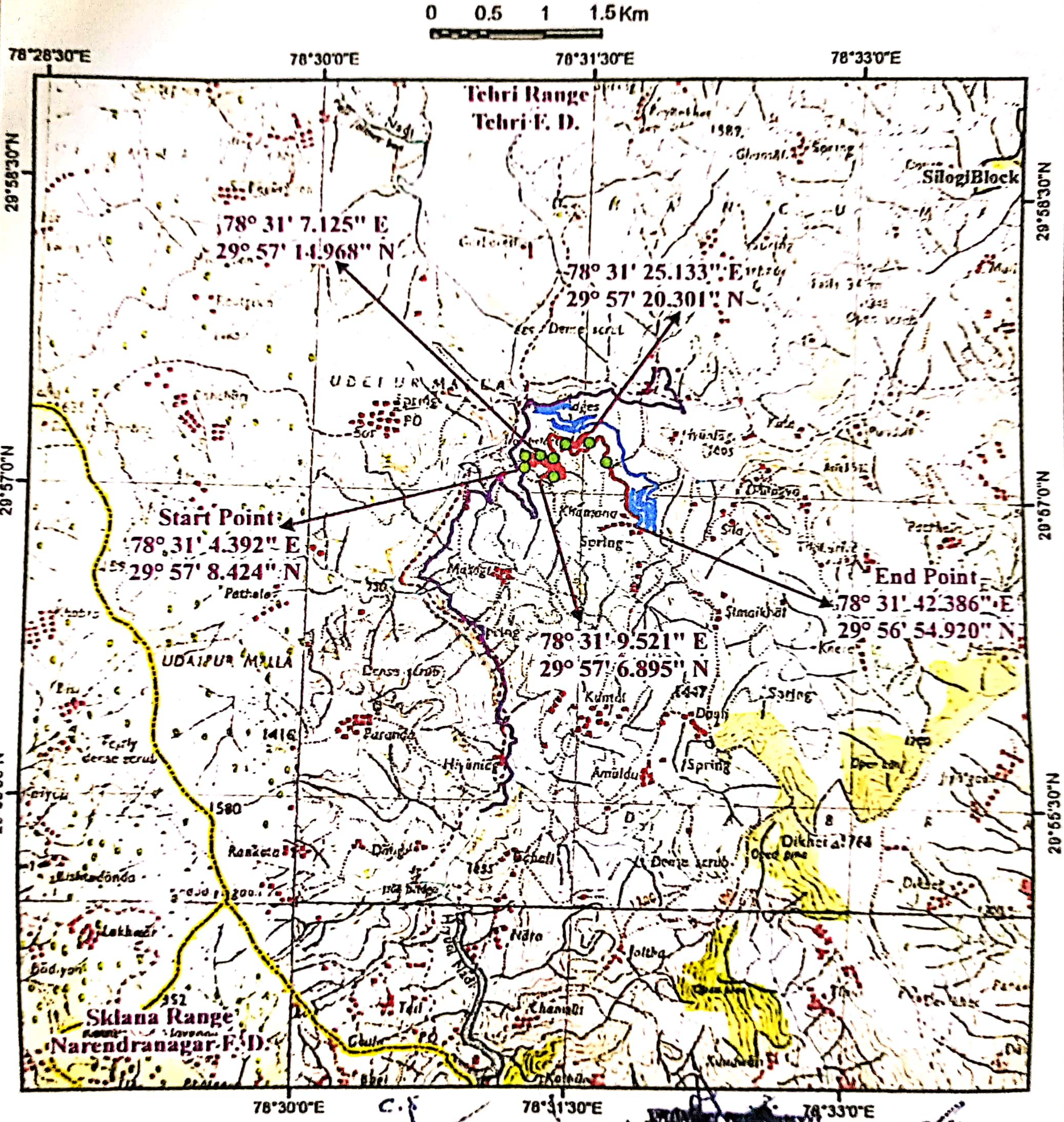

Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserved Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता IV

Executive Engineer

P.M.G.S.Y.I.D.

Kotdwara-Pauri Garhwal

तहसीलदार

जीयोरेफरेन्स मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, पोखाल– मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (4.875 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु

Scale - 1:7,000

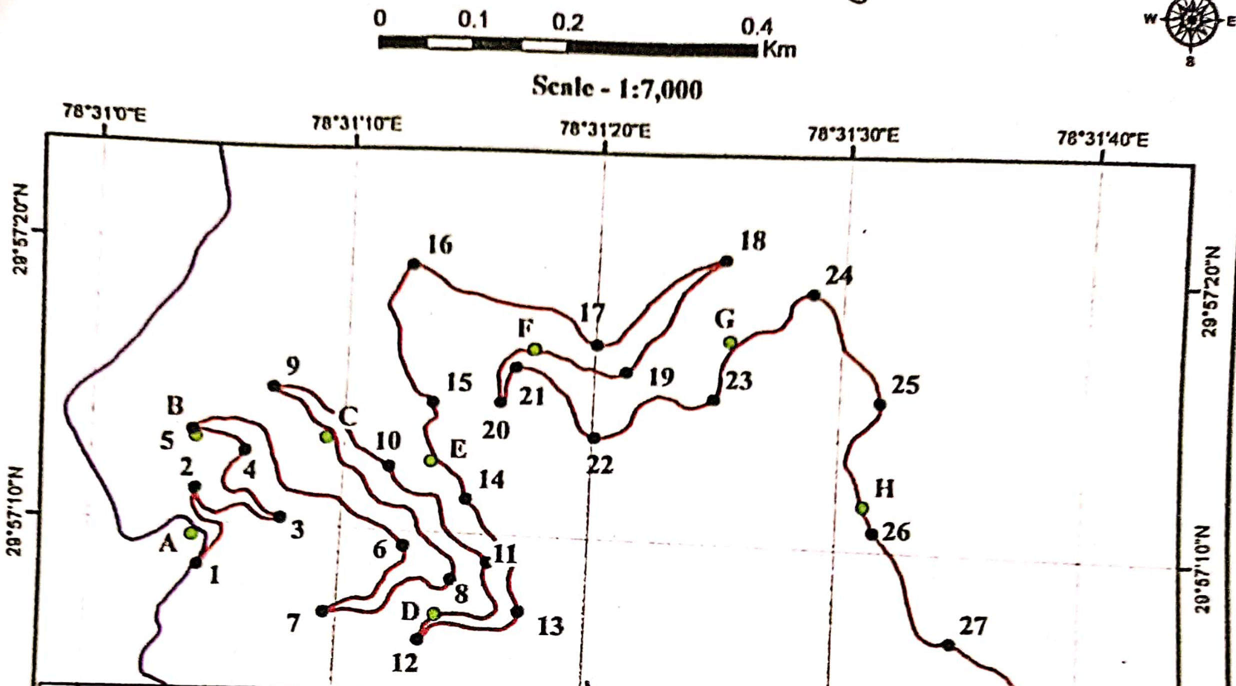

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78° 31' 4.392" E	29° 57' 8.424" N
2	78° 31' 4.186" E	29° 57' 11.166" N
3	78° 31' 7.642" E	29° 57' 10.254" N
4	78° 31' 6.104" E	29° 57' 12.626" N
5	78° 31' 3.996" E	29° 57' 13.304" N
6	78° 31' 12.590" E	29° 57' 9.440" N
7	78° 31' 9.521" E	29° 57' 6.895" N
8	78° 31' 14.587" E	29° 57' 8.289" N
9	78° 31' 7.125" E	29° 57' 14.968" N
10	78° 31' 11.889" E	29° 57' 12.304" N
11	78° 31' 16.024" E	29° 57' 8.964" N
12	78° 31' 13.367" E	29° 57' 6.065" N
13	78° 31' 17.338" E	29° 57' 7.242" N
14	78° 31' 15.062" E	29° 57' 11.224" N
15	78° 31' 13.537" E	29° 57' 14.705" N
16	78° 31' 12.507" E	29° 57' 19.602" N
17	78° 31' 20.068" E	29° 57' 17.051" N
18	78° 31' 25.133" E	29° 57' 20.301" N
19	78° 31' 21.302" E	29° 57' 16.105" N
20	78° 31' 16.278" E	29° 57' 14.803" N
21	78° 31' 16.852" E	29° 57' 16.096" N
22	78° 31' 20.132" E	29° 57' 13.681" N
23	78° 31' 24.897" E	29° 57' 15.272" N
24	78° 31' 28.761" E	29° 57' 19.229" N
25	78° 31' 31.678" E	29° 57' 15.420" N
26	78° 31' 31.555" E	29° 57' 10.687" N
27	78° 31' 34.829" E	29° 57' 6.789" N
28	78° 31' 38.417" E	29° 57' 4.225" N
29	78° 31' 38.260" E	29° 56' 57.979" N
30	78° 31' 42.386" E	29° 56' 54.920" N

GPS Location of Muck Disposal Sites

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	78° 31' 4.106" E	29° 57' 9.518" N
B	78° 31' 4.095" E	29° 57' 13.061" N
C	78° 31' 9.300" E	29° 57' 13.266" N
D	78° 31' 13.996" E	29° 57' 7.007" N
E	78° 31' 13.568" E	29° 57' 12.575" N
F	78° 31' 17.548" E	29° 57' 16.788" N
G	78° 31' 25.454" E	29° 57' 17.408" N
H	78° 31' 31.132" E	29° 57' 11.628" N

Legend

- Muck Disposal
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.I.D.
Kotdwara-Pauri Garhwal

सहायक अभियन्ता IV

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

खसरा फार्म प क-3

1	2	3	4	5	6	7	8
			Nov-2. A खतौनी ग्राम का नाम — खमाणी पट्टी का नाम — फल्दाकोट मल्ला परगना — गंगासलाण तहसील — जाखणी खाल जनपद — पौड़ी गढ़वाल राज्य — उत्तराखण्ड			

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

संलग्नक -4

प्रपत्र- 43

परियोजना का नाम- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पोखाल-गाण्डलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग(4.875 कि.मी.) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि ग्राम खमाणा स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
चैलूसैंण रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

प्रारूप– 42 संलग्नक –5

योजना का विवरण:– जनपद पौडी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पोखाल मान्डुन मोटर मार्ग से खगाणा मोटर मार्ग (4.875 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु खाता सं 05 के खसरा नं० 3411 रकबा 3.259 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन

<u>वृक्षारोपण स्थल का नाम:–</u> भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन की दौलूरौंण रैंज के ग्राम खगाणा के खाता सं० 05 के खसरा नं० 3411 रकबा 3.259 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रोपित किये जाने वाले पौधों की सं० 2000 पौध प्रति है०।

प्रथम वर्ष– अग्रिम मृदा कार्य

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई	मात्रा	दर	योग
1.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति है०	3.259	184.00	599.66
2.	झाड़ी कटान	प्रति है०	3.259	10933.00	35630 65
3.	दीवाल बन्दी (तारबाड़/सूखी दिवाल)	प्रति है०	3.259	43886.40	143025.78
4.	गड्ढों का खुदान (0.30x0.30x0.45 से०मी०)	प्रति गड्ढा	6518	12.84	83691.12
5.	निरिक्षण बटिया	प्रति है०	3.259	1314.00	4282.33
6.	पौधो की कीमत	प्रति पौध	6518	13.20	86037.60
7.	जल सरक्षण कार्य	–	LS	LS	90000.00
8.	अन्य व्यय रोपण क्षेत्र का रख–रखाव,स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण,बोरी, सुतली साईनबोर्ड, औजार, क्रय/मरम्मत, गिनती के लिये चूना लेबर आदि	–	LS	LS	5000.00
	योग प्रथम वर्ष:–				448267.13

द्वितीय वर्ष – रोपण

1.	गड्ढों भरान (0.30x0.30x0.45 से०मी०)	प्रति गड्ढा	6518	2.40	15643.20
2.	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	6518	1.84	11993.12
3.	पौध ढुलान कार्य	प्रति पौध	6518	11.44	74565.92
4.	पौध रोपण कार्य	प्रति पौध	6518	4.60	29982.80
5.	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित	प्रति पौध	6518	3.84	25029.12
6.	पौधो की निराई– गुडाई (दो बार)	प्रति पौध	6518	6.00	39108.00
7.	देख–रेख व रख रखाव कार्य (9 माह)	प्रति माह	9	2683	24147.00
8.	अग्नि सुरक्षा कार्य (सूखे घास फूस एंव ज्वलनशील पदार्थों को हटाना)	–	3.259	600.00	1955.40
9.	अन्य व्यय (साईन बोर्ड, फोटोग्राफ, चूना खरीद, रस्सी, टोकरी)	–	LS	LS	4000.00
	योग द्वितीय वर्ष:–				226424.56

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

तृतीय वर्ष – अनुरक्षण प्रथम वर्ष

	रोपण के उपरान्त प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (12 माह (एक श्रमिक माली)	प्रति माह	12	2683.00	32196.00
2.	पौधो की निराई- गुडाई (दो बार)	प्रति पौध	6518	6.00	39108.00
3.	अग्नि सुरक्षा कार्य (दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्र०र०मी	600	2.40	1440.00
4	अन्य कार्य	-	LS	LS	3510.00
	योग तृतीय वर्ष:–				76254.00

चतुर्थ वर्ष – अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

1.	रोपण के उपरान्त द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण (12 माह (एक श्रमिक माली)	प्रति माह	12	2683.00	32196.00
2.	पौधों की निराई- गुडाई (दो बार)	प्रति पौध	6518	6.00	39108.00
3.	अग्नि सुरक्षा कार्य (दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्र०र०मी	600	2.40	1440.00
4	अन्य कार्य	-	LS	LS	3500.00
	योग चतुर्थ वर्ष:–				76244.00

पंचम् वर्ष – अनुरक्षण तृतीय वर्ष

1.	रोपण के उपरान्त तृतीय वर्षीय अनुरक्षण (12 माह (एक श्रमिक माली)	प्रति माह	12	2683.00	32196.00
2.	पौधो की निराई- गुडाई (दो बार)	प्रति पौध	6518	6.00	39108.00
3.	अग्नि सुरक्षा कार्य (दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्र०र०मी	600	2.40	1440.00
4	अन्य कार्य	-	LS	LS	3000.00
	योग पंचम् वर्ष:–				75744.00

षष्टम् वर्ष – अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष

1.	रोपण के उपरान्त चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण (12 माह (एक श्रमिक माली)	प्रति माह	12	2683.00	32196.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य 1.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	3.259	720.00	2346.48
	1.2 अग्नि सुरक्षा कार्य (दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना।	प्र०र०मी	600	2.40	1440.00
3	अन्य कार्य	-	LS	LS	3000.00
	योग षष्टम् वर्ष:–				38982.48

सप्तम् वर्ष – अनुरक्षण पंचम वर्ष

1.	रोपण के उपरान्त पंचम् वर्षीय अनुरक्षण (12 माह (एक श्रमिक माली)	प्रति माह	12	2683.00	32196.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य 1.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	3.259	720.00	2346.48
	1.2 अग्नि सुरक्षा कार्य (दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	प्र०र०मी	600	2.40	1440.00
3	अन्य कार्य	-	LS	LS	3000.00
	योग सप्तम् वर्ष:–				38982.48

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner
Scanned by CamScanner

अष्टम् वर्ष – अनुरक्षण षष्टम् वर्ष

1.	रोपण के उपरान्त षष्टम् वर्षीय अनुरक्षण (12 माह (एक श्रमिक माली)	प्रति माह	12	2683.00	32196.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य 1.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	3.259	720.00	2346.48
	1.2 अग्नि सुरक्षा कार्य (दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	र०मी०	600	2.40	1440.00
3	अन्य कार्य	-	LS	LS	3000.00
	योग अष्टम् वर्षः–				38982.48

नवम् वर्ष – अनुरक्षण सप्तम् वर्ष

1.	रोपण के उपरान्त सप्तम् वर्षीय अनुरक्षण (12 माह (एक श्रमिक माली)	प्रति माह	12	2683.00	32196.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य 1.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	3.259	720.00	2346.48
	1.2 अग्नि सुरक्षा कार्य (दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	र०मी०	600	2.40	1440.00
3	अन्य कार्य	-	LS	LS	3000.00
	योग नवम् वर्षः–				38982.48

दशम् वर्ष – अनुरक्षण अष्टम् वर्ष

1.	रोपण के उपरान्त अष्टम वर्षीय अनुरक्षण (12 माह (एक श्रमिक माली)	प्रति माह	12	2683.00	32196.00
2.	अग्नि सुरक्षा कार्य 1.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्रति है०	3.295	720.00	2372.40
	1.2 अग्नि सुरक्षा कार्य (दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	र०मी०	600	2.40	1440.00
3	अन्य कार्य	-	LS	LS	3000.00
	योग दशम् वर्षः–				39008.40

सम्पूर्ण योग.–	1097872.01
या.–	1097871.00
रूपये (दस लाख सत्तानावे हजार आठ सौ इक्हत्तर)मात्र	

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी
नैलूरौण राजि
नैलूरौण

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned by CamScanner